भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2175
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं

2175. श्री संदीपनराव आसाराम भुमरेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश, विशेषकर महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए कार्यान्वित स्वास्थ्य योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से कोई विशेष योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार महाराष्ट्र और दादरा व नगर हवेली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और उपलब्ध संसाधन सीमा (आरई) के आधार पर, भारत सरकार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में अनुमोदन प्रदान करती है।

एनएचएम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में संविदा आधार पर मानव संसाधन की नियुक्ति, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा कार्यकर्ताएँ और बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना जैसे कई

प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं। इसमें मौजूदा उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्थापित करना; चौबीसों घंटे (24×7) सेवाएँ और प्रथम रेफरल यूनिट सुनिश्चित करना; मेरा अस्पताल और कायाकल्प पुरस्कार योजना का कार्यान्वियन; प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम; राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) का कार्यान्वियन और संबंधित गतिविधियाँ; लक्ष्य प्रमाणन; बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव एवं प्रबंधन कार्यक्रम; निःशुल्क निदान सेवा पहल; और निःशुल्क औषधि सेवा पहल आदि अन्य के साथ-साथ शामिल हैं।

महाराष्ट्र राज्य और दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृतियों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**महाराष्ट्र (लाखों में)**	**दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव (लाख में)**
1.	2022-23	58,844.37	2.88
2.	2023-24	58,390.87	2.88
3.	2024-25	77,579.05	3.60

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप स्वास्थ्य केंद्र (एचडब्ल्यूसी), ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू), एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) और गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) के विकास के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। दादरा व नगर हवेली में एक जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (डीआईपीएचएल) स्थापित की गई है।

महाराष्ट्र राज्य और दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत जारी की गई केंद्रीय निधियों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**महाराष्ट्र (करोड़ में)**	**दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (करोड़ में)**
1.	2022-23	4.07	0.24
2.	2023-24	31.76	0.28
3.	2024-25	65.48	0.53

महाराष्ट्र में, स्वास्थ्य प्रणालियों, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफ सी) के स्वास्थ्य अनुदानों के माध्यम से भी सहायता प्रदान की गई है। महाराष्ट्र के लिए आवंटन, अनुमोदन, जारी और उपयोग करने का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आवंटन (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (एनएलसी के अनुसार) (करोड़ में)	जारी राशि (करोड़ में)	पीएमएस पोर्टल के अनुसार उपयोग की गई धनराशि (करोड़ में)
2022-23	1330.81	1204.33	1204.33	869.26
2023-24	1397.32	1343.96	729.07	481.37
2024-25	1467.22	1466.87	632.88	52.05
कुल	**7066.74**	**6885.56**	**3897**	**2426.7**

महाराष्ट्र राज्य और दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आपातकालीन कोविड अनुक्रिया पैकेज (ईसीआरपी) के तहत जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**ईसीआरपी-I (करोड़ रुपये में)**	**ईसीआरपी-II (करोड़ रुपये में)**	**जारी राशि (करोड़ रुपये में)**
महाराष्ट्र	1,248.08	820.77	2,068.85
डीएनएच और डीडी	4.77	4.76	9.53

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): इसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, नामत: (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन।

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'** के लिए देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

*****